









|   |   |  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|--|--------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------|----------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Individuals/<br>Association of<br>Persons | Relevant date for different categories of applicants is:<br><br>Individual: Actual Date of Birth; Company: Date of Incorporation;<br>Association of Persons: Date of formation/creation; Trusts: Date of creation of Trust<br>Deed; Partnership Firms: Date of Partnership Deed; LLPs : Date of Incorporation/Registration; HUFs: Date of creation<br>of HUF and for ancestral HUF date can be 01-01-0001 where the date of creation is not available.   |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6   | Father's Name                             | Applicable to Individuals only. Instructions in Item No.1 with respect to name apply here. Married woman applicant<br>should give father's name and not husband's name.  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7   | Address –<br>Residence and<br>office      | <b>R - Residence Address:</b><br>For Individuals, HUF, AOP, BOI or AJP, residential address is mandatory. Other applicants should leave this field<br>blank.<br><br><b>O - Office Address:</b><br>(1) Name of Office and address to be mentioned in case of individuals having source of income as salary or<br>Business/profession[Item No.13].<br><br>(2) In case of Firm, LLP, Company, Local Authority and Trust, name of office and complete address of office is<br>mandatory.<br><br>For all categories of applicants, it is necessary to mention complete address and the details of Town/City/District,<br>State/Union Territory, and PINCODE are mandatory.<br><br>In case, a foreign address is provided then it is mandatory to provide Country Name along with ZIP Code of the<br>country.  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8   | Address for<br>communication              | Individuals/HUFs/AOP/BOI/AJP may indicate either 'Residence' or 'Office' and other applicants should necessarily<br>indicate 'Office' as the Address for Communication.<br><br>All communication will be sent at the address indicated in this field.  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   | Telephone<br>Number and E-<br>mail ID     | (1) Telephone number should include country code(ISD code) and STD code or Mobile No. should include Country<br>code(ISD Code).<br><br>For example :<br>(i) Telephone number 23555705 of Delhi should be written as<br><br><table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Country code</td> <td style="text-align: center;">STD Code</td> <td style="text-align: center;">Telephone Number / Mobile number</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td></tr> </table> </td> </tr> </table><br>Where '91' is the country code of India and 11 is the STD Code of Delhi.<br><br>(ii) Mobile number 9102511111 of India should be written as<br><br><table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Country code</td> <td style="text-align: center;">STD Code</td> <td style="text-align: center;">Telephone Number / Mobile number</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> </td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> </td> </tr> </table><br>Where '91' is the country code of India.<br><br>(2) It is mandatory for the applicants to mention either their "Telephone number" or valid "e-mail id" so that they can<br>be contacted in case of any discrepancy in the application and/or for receiving PAN through e-mail.<br><br>(3) Application status updates are sent using the SMS facility on the mobile numbers mentioned in the application<br>form. | Country code | STD Code  | Telephone Number / Mobile number | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |   | 9   | 1 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |   | 1 | 1 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td></tr> </table> | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | Country code | STD Code | Telephone Number / Mobile number | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |  | 9 | 1 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table> |  |  |  | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Country code  | STD Code                                  | Telephone Number / Mobile number   |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |   | 9  | 1            | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |                                  | 1   | 1 | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td></tr> </table>   | 2 | 3   | 5 | 5 | 5 | 7   | 0 | 5 |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9   | 1  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1   | 1  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2   | 3   | 5  | 5            | 5   | 7                                | 0   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Country code  | STD Code                                  | Telephone Number / Mobile number   |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> |   | 9  | 1            | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>   |                                  |   |   | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td></tr> </table> | 9 | 1   | 0 | 2 | 5 | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9   | 1  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9   | 1   | 0  | 2            | 5   | 1                                | 1   | 1 | 1   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10  | Status of<br>Applicant                    | This field is mandatory for all categories of applicants. In case of 'Limited Liability Partnership', the PAN will be<br>allotted in 'Firm' status.  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11  | Registration<br>number                    | Not applicable to Individuals and HUFs. Mandatory for 'Company'. Company should mention registration number<br>issued by the Registrar of Companies. Other applicants may mention registration number issued by any State or<br>Central Government Authority.  |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12  | In case of<br>citizen of India            | AADHAAR number, if allotted, has to be quoted (supported by copy of AADHAAR letter/card)   |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13  | Source of<br>Income                       | It is mandatory to indicate at least one of the sources of incomes, as mentioned in the form. In case, the income<br>from Business/profession is selected by the applicant then an appropriate business/ profession code should be<br>mentioned.   |              |   |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |          |                                  |   |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|      |  | Please refer the table given below to select the business/profession code:   |   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
|------|--|--|---|----------------------|------|----------------------|----|---------------------------------|----|--|----|-------------|----|------------------------|----|--------------|----|-------------------------|----|----------------------------------|----|--|----|---------------------|----|---------------------------|----|-----------------------|----|--|----|-------------------|----|---|----|-----------------------------------|----|--------------------------------|----|------------------------|----|---------------------------------|----|------------------|----|--------|
|      |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Business/ Profession</th> <th>Code</th> <th>Business/ Profession</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Medical Profession and Business</td> <td>11</td> <td>Films, TV and such other entertainment</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Engineering</td> <td>12</td> <td>Information Technology</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Architecture</td> <td>13</td> <td>Builders and Developers</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Chartered Accountant/Accountancy</td> <td>14</td> <td>Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Interior Decoration</td> <td>15</td> <td>Performing Arts and Yatra</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Technical Consultancy</td> <td>16</td> <td>Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Company Secretary</td> <td>17</td> <td>Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Legal Practitioner and Solicitors</td> <td>18</td> <td>Ownership of Horses or Jockeys</td> </tr> <tr> <td>09</td> <td>Government Contractors</td> <td>19</td> <td>Cinema Halls and Other Theatres</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Insurance Agency</td> <td>20</td> <td>Others</td> </tr> </tbody> </table> | Code  | Business/ Profession | Code | Business/ Profession | 01 | Medical Profession and Business | 11 | Films, TV and such other entertainment | 02 | Engineering | 12 | Information Technology | 03 | Architecture | 13 | Builders and Developers | 04 | Chartered Accountant/Accountancy | 14 | Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers | 05 | Interior Decoration | 15 | Performing Arts and Yatra | 06 | Technical Consultancy | 16 | Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters | 07 | Company Secretary | 17 | Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles | 08 | Legal Practitioner and Solicitors | 18 | Ownership of Horses or Jockeys | 09 | Government Contractors | 19 | Cinema Halls and Other Theatres | 10 | Insurance Agency | 20 | Others |
| Code | Business/ Profession                             | Code   | Business/ Profession  |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 01   | Medical Profession and Business                  | 11   | Films, TV and such other entertainment                            |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 02   | Engineering                                      | 12   | Information Technology  |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 03   | Architecture                                     | 13   | Builders and Developers   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 04   | Chartered Accountant/Accountancy                 | 14   | Members of Stock Exchange, Share Brokers and Sub-Brokers          |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 05   | Interior Decoration                              | 15   | Performing Arts and Yatra   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 06   | Technical Consultancy                            | 16   | Operation of Ships, Hovercraft, Aircrafts or Helicopters          |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 07   | Company Secretary                                | 17   | Plying Taxis, Lorries, Trucks, Buses or other Commercial Vehicles |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 08   | Legal Practitioner and Solicitors                | 18   | Ownership of Horses or Jockeys                                    |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 09   | Government Contractors                           | 19   | Cinema Halls and Other Theatres                                   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 10   | Insurance Agency                                 | 20   | Others  |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 14   | Name and address of Representative Assessee      | <p>Section 160 of Income Tax Act, 1961 provides that any person(assessee) can be represented through Representative Assessee. Therefore, this column should be filled in by representative assessee only as specified in Section 160 of the Income-tax Act, 1961, such as, an agent of the non-resident, guardian or manager of a minor, lunatic or idiot, Court of Wards, Administrator General, Official Trustee, receiver, manager, trustee of a Trust including Wakf.</p> <p>This field will contain particulars of the Representative Assessee. This field is mandatory if applicant is minor, deceased, idiot, lunatic or mentally retarded. Column 1 to 13 will contain details of person on whose behalf this application is submitted.</p> <p>Proof of Identity and Proof of address is also required for representative assessee.</p>  |   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |
| 15   | Proof of Identity and Proof of Address documents | <p>It is <b>mandatory</b> to attach proof of identity and proof of address with PAN application. <b>Documents should be in the name of applicant.</b> List of documents which will serve as proof of identity and address for each status of applicant is as given below:</p>  |   |                      |      |                      |    |                                 |    |  |    |             |    |                        |    |              |    |                         |    |                                  |    |  |    |                     |    |                           |    |                       |    |  |    |                   |    |   |    |                                   |    |                                |    |                        |    |                                 |    |                  |    |        |

Document acceptable as proof of identity and address as per Rule 114 of Income Tax Rules, 1962

**For Individuals and HUF**

| Sr. No  | Proof of Identity (Copy of)   | Proof of address (copy of)  |
|---------|---|---|
| 1       | School Leaving Certificate  | Electricity Bill*   |
| 2       | Matriculation Certificate   | Telephone Bill*   |
| 3       | Degree of recognised educational institution  | Employer Certificate*   |
| 4       | Depository Account Statement  | Depository Account Statement*   |
| 5       | Bank Account Statement / Passbook   | Bank Account Statement / Passbook*  |
| 6       | Credit Card   | Credit Card Statement*  |
| 7       | Water Bill  | Rent Receipt*   |
| 8       | Ration Card   | Ration Card   |
| 9       | Property Tax Assessment Order   | Property Tax Assessment Order   |
| 10      | Passport  | Passport  |
| 11      | Voter Identity Card   | Voter Identity Card   |
| 12      | Driving License   | Driving License   |
| 13      | Certificate of identity signed by Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or Gazetted Officer in the <a href="#">prescribed format</a> .  | Certificate of address signed by Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councilor or Gazetted Officer in the <a href="#">prescribed format</a> . |
| Note :- |   | Note:   |
| 1.      | In case of Minor, any of the above mentioned documents as proof of identity and address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor applicant.                          | 1. Proof of Address is required for residence address mentioned in item no. 7.  |
| 2.      | For HUF, an affidavit made by the Karta of Hindu Undivided Family stating name, father's name and address of all the coparceners on the date of application and copy of any of the above documents in the name of Karta of HUF is required. | 2. In case of an Indian citizen residing outside India, copy of Bank Account Statement in country of residence or copy of Non-resident External(NRE) bank account statements. |

**Other than Individuals and HUF**

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Company                       | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies.                         |
| 2 | Partnership Firm              | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Firms or Copy of partnership deed. |
| 3 | Limited Liability Partnership | Copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of LLPs                               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 4 | Trust   | Copy of trust deed or copy of certificate of registration number issued by Charity Commissioner.  |
| 5 | Association of Person, Body of Individuals, Local Authority, or Artificial Juridical Person | Copy of Agreement or copy of certificate of registration number issued by charity commissioner or registrar of cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person. |

|    |                              |  |
|----|------------------------------|--|
| 16 | Signature / Thumb impression | Application must be signed by (i) the applicant; or (ii) Karta in case of HUF; or (iii) Director of a Company; or (iv) Authorised Signatory in case of AOP, Body of Individuals, Local Authority and Artificial Juridical Person; or (v) Partner in case of Firm/LLP; or (vi) Trustee; or (vii) Representative Assessee in case of Minor/deceased/idiot/lunatic/mentally retarded.<br><br>Applications not signed in the given manner and in the space provided are liable to be rejected. |
|----|------------------------------|--|

#### GENERAL INFORMATION FOR PAN APPLICANTS

- (a) Applicants may obtain the application form for PAN (Form 49A) from any IT PAN Service Centres(managed by UTIITSL) or TIN-Facilitation Centres(TIN-FCs)/PAN Centres (managed by NSDL), or any other stationery vendor providing such forms or download from the Income Tax Department website([www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in))/UTIITSL website([www.utiitsl.com](http://www.utiitsl.com))/NSDL website ([www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com)).
- (b) The fee for processing PAN application is Rs. 85/- (plus service tax, as applicable). In case, the PAN card is to be dispatched outside India then additional dispatch charge of Rs 850 will have to be paid by applicant.
- (c) Those already allotted a ten digit alphanumeric PAN shall not apply again as having or using more than one PAN is illegal. However, request for a new PAN card with the same PAN or/and Changes or Correction in PAN data can be made by filling up 'Request for New PAN Card or/and Changes or Correction in PAN Data' form available from any source mentioned in (a) above. The cost of application and processing fee is same as in the case of Form 49A.
- (d) Applicant will receive an acknowledgment containing a unique number on acceptance of this form. This **acknowledgment number** can be used for tracking the status of the application.
- (e) For more information / Application status enquiry contact:

|                    | <b>Income-tax Department</b>   | <b>NSDL</b>   | <b>UTIITSL</b>   |
|--------------------|--|---|--|
| <b>Website</b>     | <a href="http://www.incometaxindia.gov.in">www.incometaxindia.gov.in</a> | <a href="http://www.tin-nsdl.com">www.tin-nsdl.com</a>  | <a href="http://www.utiitsl.com">www.utiitsl.com</a>   |
| <b>Call Center</b> | 0124-2438000   | 020-27218080  | 022-67931300   |
| <b>Email ID</b>    |  | <a href="mailto:tininfo@nsdl.co.in">tininfo@nsdl.co.in</a>  | <a href="mailto:utiitsl.gsd@utiitsl.com">utiitsl.gsd@utiitsl.com</a>   |
| <b>SMS</b>         |  | SMS<br>NSDLPAN<space>Acknowledgement<br>No. & send to 57575 to obtain<br>application status.  |  |
| <b>Address</b>     |  | INCOME TAX PAN SERVICES<br>UNIT (Managed by National<br>Securities Depository Limited),<br>3rd Floor, Sapphire Chambers,<br>Near Baner Telephone<br>Exchange, Baner, Pune - 411<br>045. | IT PAN Service<br>Centres(managed by<br>UTIITSL) PB no 20, Plot<br>no 3, Sector- 11, CBD-<br>Belapur – Navi Mumbai<br>400614 |

## प्रपत्र 49क को भरने हेतु निर्देश

(क) प्रपत्र बड़े अक्षरों में सुपाठ्य भरा जाना चाहिए और काली स्याही में भरा जाए तो बेहतर होगा। फार्म केवल अंग्रेजी में भरना होगा।

(ख) प्रत्येक खाने में, जहां भी दिया गया है, में केवल एक अक्षर भरा जाना चाहिए (अक्षर/संख्या/विरामचिह्न) तथा प्रत्येक शब्द के उपरांत एक खाना खाली छोड़ा जाना चाहिए।

(ग) 'व्यदष्टिउ' आवेदक प्रपत्र में दिए गए स्थान पर सफेद बैकग्राउंड के साथ दो नवीनतम रंगीन तस्वीरें (आकार 3.5से.मी X 2.5 से.मी.) चिपकाएं। तस्वीरों को प्रपत्र के साथ स्टैपल अथवा क्लिप न करें। पैन कार्ड पर तस्वीर की स्पष्टता प्रपत्र पर चिपकाई गई तस्वीर की गुणवत्ता एवं स्पष्टता पर निर्भर करेगी।

(घ) प्रपत्र के बायीं ओर चिपकाई गई तस्वीर के ऊपर आर-पार हस्ताक्षर करें / बायें हाथ के अंगूठे की छाप इस प्रकार डालें कि हस्ताक्षर/ अंगूठे की छाप फोटो तथा फार्म दोनों में आ जाए।

(ङ.) प्रपत्र के दायीं ओर दिए गए खाने के अन्दूर हस्ताक्षर / बायें हाथ के अंगूठे की छाप होनी चाहिए। हस्तारक्षर प्रपत्र के दायीं ओर चिपकाई गई तस्वीर पर नहीं होने चाहिए। यदि इस तस्वीर पर कोई चिह्न है जिससे आवेदक के चेहरे की स्पष्टता दृष्ट व्यहता पर बाधा आ रही हो तो आवेदन स्वी कार्य नहीं होगा।

(च) यदि अंगूठे की छाप का प्रयोग हो रहा हो तो उसे किसी मैजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी की कार्यालयी मुहर एवं उनके स्टैम्प के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए।

(छ) आवेदक द्वारा क्षेत्राधिकार के निर्धारण अधिकारी का ए ओ कोड (क्षेत्र कोड, एओ प्रकार, रैंज कोड एवं एओ संख्या) अवश्यत भरा जाना चाहिए। इन ब्यौरों को आयकर कार्यालय अथवा पैन केन्द्रप अथवा पैन सेवा प्रबंधक की वेबसाइट [www.utitsl.com](http://www.utitsl.com) or [www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com) से प्राप्त किया जा सकता है।

(ज) फार्म 49 क को भरने के लिए दिशानिर्देश :

| मद सं. | मद का ब्यौरा | प्रपत्र भरने हेतु दिशानिर्देश  |
|--------|--------------|--|
| 1.     | पूरा नाम     | <p>कृपया उचित शीर्षक को चुनिए।<br/>                     प्रथम एवं अंतिम नाम में संक्षिप्त रूपों का प्रयोग न करें।<br/>                     उदाहरण के लिए रविकान्त को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्यचनाम</b><br/>                     रविकान्त</p> <p>उदाहरण के लिए सुरेश शारदा को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्यहनाम</b><br/>                     सारदा    सुरेश</p> <p>उदाहरण के लिए पूनम रवि नारायण को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्यएनाम</b><br/>                     नारायण    पूनम    रवि</p> <p>उदाहरण के लिए सत्य म वैकट एम.के.राय को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्ययनाम</b><br/>                     राय    सत्य म    वैकट एम.के.</p> <p>उदाहरण के लिए एम.एस.कंडास्वा मी (मदुराई सोमासुंदरम कंडास्वायमी) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b><br/>कंडास्वा/मी</p> <p><b>प्रथम नाम</b><br/>मदुराई</p> <p><b>मध्यएनाम</b><br/>सोमासुंदरम</p> <p>'व्यष्टि ' से अन्य आवेदक उपर्युक्तं अनुदेशों को अनदेखा कर दें।</p> <p>आवेदक के उपनाम, प्रथम नाम एवं पिता के नाम में अनुमत दो अध्यादक्षर नीचे उल्लिखित हैं:-</p> <p>गैर-व्यष्टि अपना पूरा नाम, अंतिम नाम/ उपनाम के पहले ब्लॉक से शुरू करते हुए लिखें। यदि अंतिम नाम दिए गए स्थान से बड़ा है, तो उसे प्रथम एवं मध्य नाम के लिए दिए गए स्थान पर जारी रखा जा सकता है।</p> <p>उदाहरण के लिए एक्सप वाई जैड डाटा कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्य नाम</b><br/>एक्सप वाई जैड डाटा कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड</p> <p>उदाहरण के लिए मनोज मफतलाल दवे (एच यू एफ) को इस प्रकार लिखा जाना चाहिए:</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्य नाम</b><br/>मनोज मफतलाल दवे (एच यू एफ)</p> <p>कंपनी के मामले में नाम बिना किसी संक्षिप्त रूप के दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्राइवेट लिमिटेड को विभिन्न प्रकारों नामतः प्रा. लि., प्राइवेट लि., पी.लि., पी.लि., पी लि. से लिखने की अनुमति नहीं है। इसे केवल 'प्राइवेट लिमिटेड' ही लिखा जाना चाहिए।</p> <p>पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के मामले में, स्वामी को स्वयं के नाम पर पैन के लिए आवेदन करना चाहिए।</p> <p>नाम के आगे श्री, श्रीमती, कुमारी, डॉ., मेजर, मैसर्स इत्यादि नहीं लिखा जाना चाहिए।</p> |
| 2. | <p>पैन कार्ड पर पूरा नाम का संक्षिप्त रूप मुद्रित किया जाएगा ।</p> | <p>व्यष्टि आवेदकों को पैन कार्ड पर नाम मुद्रित करने के लिए पूरा / संक्षिप्त रूप उपलब्ध कराना होगा यदि संक्षिप्त रूप, अंतिम नाम में अनिवार्य रूप से समाविष्ट होगा उदाहरण के लिए :</p> <p>जिसे फील्डिंग नाम में सत्यंम वैकट एम.के.राव</p> <p><b>अंतिम नाम/ उपनाम</b>                      <b>प्रथम नाम</b>                      <b>मध्य नाम</b><br/>राव    सत्य म    वैकट एम.के.</p> <p>जिस प्रकार कॉलम में लिख सकते हैं "पैन कार्ड पर नाम मुद्रित किया जाएगा"</p> <p>सत्य"म वैकट एम.के.राव अथवा<br/>एस.वी.एम.के.राव<br/>सत्य"म वी.एम.के.राव</p> <p>गैर-व्यष्टि आवेदकों के लिए, उपरोक्त मद्द संख्या 1 में अंतिम नाम फील्ड में उसी प्रकार होगा</p>  |
| 3. | <p>क्या. आप कभी किसी अन्या</p>                                     | <p>यदि आवेदक "हां" का चयन करते हैं तब अन्य नाम का ब्यासरा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा । नाम के संबंध में मद्द संख्या 1 के अनुदेश यहां लागू होंगे।</p>  |

|    |   |  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|--|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    | नाम से जाने गए हैं?   | टाइटल उसी प्रकार होगा जिस प्रकार मद संख्यां 1 में टाइटल का उल्लेख किया गया है।   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | लिंग  | यह क्षेत्र विष्टियों हेतु अनिवार्य है। अन्य आवेदकों के मामले में इसे रिक्त छोड़ा जा चाहिए।   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | जन्म तिथि/निगमन की तिथि/समझौते की तिथि/साझेदारी अथवा न्याय विलेख की तिथि /व्यक्ति के निकाय का रूप लेने की तिथि/ व्यक्तियों के संघ की तिथि | <p>तिथि भावी तिथि नहीं हो सकती। दिनांक: 2 अगस्त 1975 को इस प्रकार लिखा जाएगा</p> <table border="1"> <tr> <td>दि</td> <td>दि</td> <td>म.</td> <td>म.</td> <td>व</td> <td>व</td> <td>व</td> <td>व</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए संगत तिथि है:<br/> व्यक्ति: जन्म की वास्तविक तिथि; कंपनी: निगमन की तिथि; व्यक्तियों का संघ निर्माण/ सृजन की तिथि ; न्याय: न्याय विलेख के सृजन की तिथि; साझेदारी फर्म: साझेदारी विलेख की तिथि; एलएलपीएस: निगमन/ पंजीकरण की तिथि, एचयूएफ: एचयूएफ के सृजन की तिथि तथा पूर्वज एचयूएफ के लिए जहां उसके सृजन की तारीख उपलब्ध नहीं है वहां तिथि 01-01-0001 हो सकती है।</p> | दि | दि | म. | म. | व | व | व | व | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 7 | 5 |
| दि | दि  | म.   | म. | व  | व  | व  | व |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0  | 2   | 0  | 8  | 1  | 9  | 7  | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. | पिता का नाम   | केवल व्यक्तियों के लिए लागू। नाम के संबंध में यहां मद संख्या 0 1 में दिए अनुदेश लागू होंगे। विवाहित स्त्रीप आवेदक अपने पिता का नाम भरेंगी न कि अपने पति का नाम   |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | पता-आवास एवं कार्यालय   | <p><b>आ- आवासीय पता:</b><br/> विष्टियों, एचयूएफ, एओपी, बीओआई अथवा एजेपी के लिए आवासीय पता अनिवार्य है। अन्य आवेदक इस स्थान को रिक्त छोड़ेंगे।</p> <p><b>का - कार्यालय का पता:</b><br/> (1) वेतन के रूप में आय के स्रोत या कारोबार/ व्यवसाय वाले व्यक्तियों के मामले में कार्यालय का नाम एवं पता उल्लिखित किया जाना चाहिए (मद संख्या 13)।<br/> (2) फर्म एल एल पी, कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण एवं न्याय के मामले में कार्यालय का नाम एवं कार्यालय का पूरा पता देना अनिवार्य है।</p> <p>आवेदकों की सभी श्रेणियों के लिए पूरे पते का उल्लेख करना अनिवार्य है और नगर/शहर/जिला, राज्य/संघ क्षेत्र, तथा पिन कोड अनिवार्य है।<br/> यदि विदेश का पता दिया जाता है तो देश का नाम ज़िप कोड के साथ लिखना अनिवार्य है।</p>                    |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8. | पत्राचार के लिए पता   | <p>व्यक्ति/एचयूएफ/ एओपी/बीओआई /एजेपी या तो आवास अथवा कार्यालय इंगित कर सकते हैं और अन्य आवेदक पत्राचार के पते के लिए कार्यालय का पता अनिवार्य रूप से कार्यालय इंगित करेंगे।<br/> सभी पत्राचार इस जगह पर सूचित किए पते पर भेजे जाएंगे।</p>  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9. | दूरभाष संख्या व ई-मेल आईडी  | <p>(1) यदि दूरभाष संख्या का उल्लेख किया गया है तो देश कोड (आईएसडी कोड) और एसटीडी कोड अथवा मोबाइल संख्या के मामले में, देश का कोड (आईएस डी कोड) अनिवार्य है।</p> <p>उदाहरण के लिए :</p> <p>i) दिल्ली का टेलीफोन नम्बर 23555705 इस तरह लिखना होगा !<br/> देश का कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/ मोबाइल संख्या</p>  |    |    |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|     |                             | <table border="1"> <tr> <td>9</td><td>1</td> <td>1</td><td>1</td> <td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>5</td> </tr> </table> <p>जहां '91' भारत का देश कोड है तथा दिल्ली का एसटीडी कोड 11 है ।<br/> ii) भारत का मोबाइल नम्बर 9102511111 इस तरह लिखना होगा ।<br/> देश का कोड एसटीडी कोड दूरभाष संख्या/ मोबाइल संख्या</p> <table border="1"> <tr> <td>9</td><td>1</td> <td></td><td></td> <td>9</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table> <p>जहां '91' भारत का देश कोड है ।<br/> (2) आवेदकों के लिए अपना 'दूरभाष संख्या1' अथवा वैध 'ई-मेल आई डी' का उल्लेख करना अनिवार्य है ताकि आवेदन में किसी विसंगति के मामले में ई-मेल के माध्यम से तथा/ अथवा पैन प्राप्त करने हेतु उनसे संपर्क किया जा सके।<br/> (3) आवेदन की अद्यतन स्थिति आवेदन फार्म में उल्लिखित मोबाइल संख्या पर एस एम एस सुविधा का प्रयोग करते हुए भेजी जाती है।</p>  | 9   | 1               | 1   | 1               | 2  | 3                           | 5  | 5                                   | 5  | 7           | 0  | 5                  | 9  | 1          |    |                     | 9  | 1                         | 0  | 2  | 5  | 1             | 1  | 1                       | 1  | 1              |    |   |    |            |    |   |
|-----|-----------------------------|--|---|-----------------|-----|-----------------|----|-----------------------------|----|-------------------------------------|----|-------------|----|--------------------|----|------------|----|---------------------|----|---------------------------|----|--|----|---------------|----|-------------------------|----|----------------|----|---|----|------------|----|---|
| 9   | 1                           | 1  | 1   | 2               | 3   | 5               | 5  | 5                           | 7  | 0                                   | 5  |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 9   | 1                           |  |   | 9               | 1   | 0               | 2  | 5                           | 1  | 1                                   | 1  | 1           | 1  |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 10  | आवेदक की हैसियत             | यह क्षेत्र आवेदक की सभी श्रेणियों के लिए अनिवार्य है। 'सीमित दायित्व साझेदारी' के मामले में पैन 'फर्म' की हैसियत से आबंटित किया जाएगा।   |   |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 11  | पंजीकरण संख्याद             | व्यष्टिक तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों पर लागू नहीं । 'कंपनी' के लिए अनिवार्य। कंपनी, कंपनियों के पंजीकार द्वारा जारी पंजीकरण संख्याप का उल्लेख करेंगे। अन्यी आवेदन किसी राज्यक अथवा केन्द्रव सरकार प्राधिकरण द्वारा जारी पंजीकरण संख्या का उल्लेख कर सकते हैं।   |   |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 12  | भारत के नागरिक के मामले में | आधार संख्या, यदि आबंटित है तो इसका उल्लेख किया जाए । (आधार पत्र / कार्ड की प्रति प्रमाण के लिए संलग्न करें) ।  |   |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 13  | आय का स्रोत                 | <p>फार्म में यथा उल्लिखित आय का कम से कम एक स्रोत सूचित करना अनिवार्य है। यदि आवेदक द्वारा कारोबार/व्यवसाय से आय चुना जाता है तो एक उपयुक्त( कारोबार/व्यवसाय कोड का उल्लेख किया जाए।</p> <p>कारोबार/व्यवसाय कोड चुनने के लिए कृपया निम्न लिखित तालिका का अवलोकन करें:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कोड</th> <th>कारोबार/व्यवसाय</th> <th>कोड</th> <th>कारोबार/व्यवसाय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>चिकित्सा व्यवसाय और कारोबार</td> <td>11</td> <td>फिल्म, टेलीविजन और ऐसे अन्य मनोरंजन</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>इंजीनियरिंग</td> <td>12</td> <td>सूचना प्रौद्योगिकी</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>वास्तुपकला</td> <td>13</td> <td>निर्माता एवं विकासक</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>सनदी लेखाकार/लेखा विधिकार</td> <td>14</td> <td>स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर दलाल तथा उप-दलाल</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>आंतरिक सज्जाद</td> <td>15</td> <td>कला एवं यात्रा प्रदर्शन</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>तकनीकी परामर्श</td> <td>16</td> <td>जहाज,होवरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट अथवा हेलीकाप्टर का परिचालन</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>कंपनी सचिव</td> <td>17</td> <td>टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस अथवा अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना</td> </tr> </tbody> </table> | कोड   | कारोबार/व्यवसाय | कोड | कारोबार/व्यवसाय | 01 | चिकित्सा व्यवसाय और कारोबार | 11 | फिल्म, टेलीविजन और ऐसे अन्य मनोरंजन | 02 | इंजीनियरिंग | 12 | सूचना प्रौद्योगिकी | 03 | वास्तुपकला | 13 | निर्माता एवं विकासक | 04 | सनदी लेखाकार/लेखा विधिकार | 14 | स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर दलाल तथा उप-दलाल | 05 | आंतरिक सज्जाद | 15 | कला एवं यात्रा प्रदर्शन | 06 | तकनीकी परामर्श | 16 | जहाज,होवरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट अथवा हेलीकाप्टर का परिचालन | 07 | कंपनी सचिव | 17 | टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस अथवा अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना |
| कोड | कारोबार/व्यवसाय             | कोड  | कारोबार/व्यवसाय   |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 01  | चिकित्सा व्यवसाय और कारोबार | 11   | फिल्म, टेलीविजन और ऐसे अन्य मनोरंजन                     |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 02  | इंजीनियरिंग                 | 12   | सूचना प्रौद्योगिकी                                      |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 03  | वास्तुपकला                  | 13   | निर्माता एवं विकासक                                     |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 04  | सनदी लेखाकार/लेखा विधिकार   | 14   | स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य, शेयर दलाल तथा उप-दलाल          |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 05  | आंतरिक सज्जाद               | 15   | कला एवं यात्रा प्रदर्शन                                 |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 06  | तकनीकी परामर्श              | 16   | जहाज,होवरक्राफ्ट, एअरक्राफ्ट अथवा हेलीकाप्टर का परिचालन |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |
| 07  | कंपनी सचिव                  | 17   | टैक्सी, लॉरी, ट्रक, बस अथवा अन्य वाणिज्यिक वाहन चलाना   |                 |     |                 |    |                             |    |                                     |    |             |    |                    |    |            |    |                     |    |                           |    |  |    |               |    |                         |    |                |    |   |    |            |    |   |

|  |  |    |                      |    |                            |
|--|--|----|----------------------|----|----------------------------|
|  |  | 08 | कानूनी पेशेवर / वकील | 18 | घोड़ों अथवा जॉकी के स्वामी |
|  |  | 09 | सरकारी ठेकेदार       | 19 | सिनेमा हॉल तथा अन्य थिएटर  |
|  |  | 10 | बीमा एजेंसी          | 20 | अन्य                       |

|     |                                      |   |
|-----|--------------------------------------|---|
| 14. | प्रतिनिधि कर-निर्धारिती का नाम व पता | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 में व्यवस्था है कि किसी कर-निर्धारिती को किसी व्यक्ति (निर्धारिती) द्वारा प्रतिनिधि निर्धारिती के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। अतः इस कॉलम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 में विनिर्दिष्ट केवल प्रतिनिधि निर्धारिती के द्वारा भरा जायेगा। जैसाकि अनिवासी का एजेन्ट, अवयस्क का अविभावक या प्रबन्धक, पागल अथवा मूर्ख, प्रतिपाल्य अधिकरण, महाप्रशासक, शासकीय न्यासी, प्राप्तकर्ता, प्रबंधक, वक्फ सहित न्यास का न्यासी इस जगह पर प्रतिनिधि कर-निर्धारिती का विवरण होगा। यह स्थान अनिवार्य होगा यदि आवेदक अवयस्क, मृत, पागल, मूर्ख अथवा मंदबुद्धि है।<br>कालम 1 से 13 में उस व्यक्ति का विवरण होगा जिसकी ओर से यह आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।<br>प्रतिनिधि कर-निर्धारिती के लिए पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण होना भी अपेक्षित है। |
|-----|--------------------------------------|---|

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 15. | पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण दस्तावेज | पैन आवेदन के साथ पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। दस्तावेज आवेदक के नाम से होने चाहिए। प्रत्येक स्तर के आवेदक के लिए पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में दिए जाने वाले कागजातों की सूची नीचे दिए अनुसार है :- |
|-----|--|--|

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 114 के अनुसार पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य कागजात

**व्यष्टियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के लिए**

| क्र. सं. | पहचान का प्रमाण (प्रतिलिपि)  | पते का प्रमाण (प्रतिलिपि)  |
|----------|--|--|
| 1        | विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र   | बिजली बिल*   |
| 2        | मैट्रिक का प्रमाण-पत्र   | टेलीफोन बिल*   |
| 3        | मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान की डिग्री  | नियोक्ता का प्रमाण-पत्र*   |
| 4        | जमा खाता विवरण   | जमा खाता विवरण*  |
| 5        | बैंक खाता विवरण/पासबुक   | बैंक खाता विवरण/पासबुक*  |
| 6        | क्रेडिट कार्ड  | क्रेडिट कार्ड विवरण*   |
| 7        | पानी का बिल  | किराया रसीद*   |
| 8        | राशन कार्ड   | राशन कार्ड   |
| 9        | सम्पत्ति कर निर्धारण आदेश  | सम्पत्ति कर निर्धारण आदेश  |
| 10       | पासपोर्ट   | पासपोर्ट   |
| 11       | मतदाता पहचान कार्ड   | मतदाता पहचान कार्ड   |
| 12       | ड्राइविंग लाइसेंस  | ड्राइविंग लाइसेंस  |
| 13       | सांसद अथवा विधायक अथवा निगम पार्षद अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म में हस्ताक्षरित पहचान का प्रमाण-पत्र | सांसद अथवा विधायक अथवा निगम पार्षद अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म में हस्ताक्षरित पते का प्रमाण-पत्र |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | पत्र   |  |
|  | <p>टिप्पकणी:-</p> <p>1. अवयस्क के मामले में ऐसे अवयस्कों के किसी अभिभावक/सरंक्षक के पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में उपरोक्तक उल्लिखित कोई दस्तारवेज अवयस्को आवेदक के लिए पहचान तथा पते का प्रमाण माना जाएगा।</p> <p>2. एचयूएफ के लिए, हिन्दू अविभाजित परिवार का नाम देते हुए कर्ता के द्वारा बनाया गया धोषणा-पत्र, पिता का नाम तथा आवेदन की तारीख को सभी साझेदारों का पता और एचयूएफ के कर्ता के नाम से ऊपर दिए गए दस्ताफवेज में किसी एक प्रति अपेक्षित है ।</p> | <p>टिप्पकणी:-</p> <p>1. मद संख्या 7 में उल्लिखित आवासीय पते के लिए पते का प्रमाण अपेक्षित है ।<br/>की तारीख को छह माह से पुराना होना चाहिए।</p> <p>भारत से बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक के मामले में, आवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति अथवा अनिवासी बाह्य (एनआरई) बैंक खाता विवरणियों की प्रति ।</p> |

**व्यपष्टियों तथा हिन्दू अविभाजित परिवारों के अलावा अन्यत**

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | कंपनी  | कंपनियों के पंजीकार द्वारा जारी पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि   |
| 2  | साझेदारी फर्म  | फर्मों के पंजीकार द्वारा जारी पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अथवा साझेदारी विलेख की प्रतिलिपि  |
| 3  | सीमित दायित्व व साझेदारी   | एलएलपीस के पंजीकार द्वारा जारी पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रति  |
| 4  | न्या स   | न्या स विलेख की प्रतिलिपि अथवा चैरिटी आयुक्त द्वारा जारी पंजीकरणसंख्याल के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि   |
| 5. | व्यक्तिार्यों के संघ, व्य ष्टिार्यों के निकाय, स्था.नीय प्राधिकरण, अथवा कृत्रिम न्यालयिक व्यक्ति | करार की प्रतिलिपि अथवा चैरिटी आयुक्तद्वारा जारी पंजीकरण संख्याि के प्रमाण की प्रति अथवा सहकारी समिति के पंजीकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी ऐसे व्यक्ति की पहचान तथा पता सत्यापित करने वाला अन्यर कोई कागजात। |

|     |                            |  |
|-----|----------------------------|--|
| 16. | हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान | <p>आवेदन हस्ताक्षरित होना चाहिए (1.) आवेदक द्वारा अथवा (2.) एचयूएफ के मामले में कर्ता अथवा (3.) कम्पनी के निदेशक अथवा (4.) व्यक्तियों के संघ, व्य ष्टिार्यों के निकाय, स्था.नीय प्राधिकरण तथा कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों अथवा (5.) फार्म/एलएलपी के मामले में साझेदार अथवा (6.) न्यायकसी अथवा अवयस्क /मृत/ पागल / मूर्ख /मंदबुद्धि के मामले में प्रतिनिधि कर-निर्धारित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर कर सकता है।</p> <p>आवेदन पत्र, बताए गए तरीके तथा उपलब्ध किए गए स्थादन में हस्ताक्षरित न होने कारण रद्द किया जा सकते हैं ।</p> |
|-----|----------------------------|--|

**पैन आवेदकों के लिए सामान्य सूचना**

(क) आवेदक पैन के लिए आवेदन फार्म (फार्म 49क) टिन सुविधा केन्द्रों (यूटीआईआईटीएसएल द्वारा संचालित) अथवा टिन सुविधा केन्द्रों (टिन-एफसी)/पैन केन्द्रों, (एनएसडीएल द्वारा संचालित) अथवा

ऐसे फार्म उपलब्ध करने वाले किसी अन्य विक्रेता अथवा आयकर विभाग की वेबसाइट

([www.incometaxindia.gov.in](http://www.incometaxindia.gov.in))/यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट ([www.utiitsl.com](http://www.utiitsl.com))/ एनएसडीएल वेबसाइट ([www.tin-nsdl.com](http://www.tin-nsdl.com)) से डाउनलोड कर सकते हैं।

(ख) पैन आवेदन प्रसंसाधन के लिए शुल्क 85/-रूप है (यथा प्रयोज्य, सेवा कर अतिरिक्त.)। यदि पैन कार्ड भारत से बाहर प्रेषित किया जाना है तो आवेदक द्वारा अतिरिक्तक प्रेषण शुल्क 850/- रुपये का भुगतान करना होगा ।

(ग) जिनको पहले ही एक दस अंकों का अल्फा नुमेरिक पैन आबंटित किया गया है वे पुनः आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि एक से अधिक पैन रखना अथवा उनका प्रयोग करना गैर कानूनी है। तथापि, पैन डाटा में उसी पैन अथवा/ तथा परिवर्तन अथवा सुधार हेतु उपरोक्ता (क) में उल्लिखित किसी स्रोत से फार्म में 'नए पैन कार्ड अथवा/ तथा परिवर्तन अथवा पैन डाटा में सुधार के लिए अनुरोध' दाखिल करने द्वारा एक नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध किया जा सकता है। आवेदन की लागत तथा प्रसंसाधन शुल्क अ फार्म 49क के मामले की तरह वही है।

(घ) यह फार्म स्वीकार होने पर आवेदक को अनन्य संख्याी सहित एक पावती प्राप्त होगी । इस पावती संख्याा का प्रयोग आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है।

(ड) अधिक जानकारी / आवेदन स्थिति पूछताछ के लिए संपर्क करें :-

|             | आयकर विभाग   | एनएसडीएल   | यूटीआईआईटीएसएल  |
|-------------|--|--|---|
| वेबसाइट     | ( <a href="http://www.incometaxindia.gov.in">www.incometaxindia.gov.in</a> ) | ( <a href="http://www.tin-nsdl.com">www.tin-nsdl.com</a> )   | ( <a href="http://www.utiitsl.com">www.utiitsl.com</a> )  |
| कॉल सेन्टीर | 0124-2438000   | 020-27218080   | 022-67931300  |
| ई-मेल आईडी  |  | <a href="mailto:tininfo@nsdl.co.in">tininfo@nsdl.co.in</a>   | <a href="mailto:Utiitsl.gsd@utiitsl.com">Utiitsl.gsd@utiitsl.com</a>  |
| SMS         |  | आवेदन की स्थिति जानने के लिए<br>NSDL PANK<Space><br>पावती संख्या को 57575<br>पर एस एम एस भेजें ।   |   |
| पता         |  | आयकर विभाग पैन सेवा<br>इकाई (राष्ट्रीय प्रतिभूति<br>निक्षेपागार द्वारा<br>संचालित), तीसरी मंजिल,<br>सफेियर चैम्बरस, बैनर<br>टेलीफोन के पास, बैनर,<br>पूणे- 4110045 | आयकर पैन सेवा केन्द्र4<br>(यूटीआईआईएसएल द्वारा<br>संचालित) पी बी न. 20, प्लॉट<br>नं. 3, सैक्ट र न.11, सीबीडी-<br>बेलापुर- नवी मुंबई- 400614 |

## Verification Certificate

(Certificate under provisions of rule 114(4) of Income Tax Rules, 1962)

(Affix same photograph as affixed on PAN application form)

(To be attested by issuing authority with his / her signature & rubber stamp appearing half on the photograph and half on the certificate)

I hereby certify that I know Sh./Smt./Kum. ....  
Son/Daughter of.....  
and whose personal particulars, as given below, are correct to the best of my knowledge & belief. I recommend issue of PAN card by Income Tax Department to him/her.

|   |  |
|---|--|
| <b>Name</b>   |  |
| <b>Father's Name</b><br><small>(Even in case of married ladies father's name is to be provided)</small>   |  |
| <b>Date of Birth</b>  |  |
| <b>Residence Address</b><br><small>(If applicant has resided at more than one place during last one year than all such address with dates should be mentioned).</small> |  |
| <b>Office Address</b>   |  |
| <b>Previous name</b><br><small>(In case of change in name)</small>  |  |

Details of issuer of certificate -

Full Name:

Designation:

Department /Organization:

Office address with location:

Identity Card No.:

(Enclose a photocopy of I-Card)

Telephone/Mobile No.:

Date:

(Signature)

Place:

Office Seal